

मूल वाद में डिक्री  
[आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी.]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, बड़ीसादड़ी बईजलास

श्री गजानंद जांगी (HRS) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, बड़ीसादड़ी

श्री अंबादेवी पति श्यामलाल सोनी बनाम 1. श्री सुरज देवी पति अशोक कुमार सोनी नि. बड़ीसादड़ी

- वादी

2. भूमि धारण जादे तामीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादी

प्र.सं. 1/2019 वाद पत्र धारा 53 RTA

वादी की ओर से वकील श्री जे.ए.पि. जग. मुने की ओर प्रतिवादी की ओर से वकील X-PARTY की उपस्थिति में यह वाद आज

दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि मांजा - बड़ीसादड़ी की वाद गुलत आराजी का खं 2913A पक्ष कारण के कथ नि 2019 पत्र क्रि. 2019 के

1. श्री मति अम्बा देवी पति श्यामलाल सोनी नि. बड़ीसादड़ी

2. श्री सुरज देवी पति अशोक कुमार सोनी नि. बड़ीसादड़ी

आ.न.	रक	जमा
394 श्री.	1.26	22.55
1	1.26	22.55

आ.न.	रक	जमा
394/1	0.63	11.27
1	0.63	11.27

इस वाद के खर्च प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सहित द्वारा

को दी जावे। यह आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और मोहर अदालत से जारी की गई।



*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, बड़ीसादड़ी

वादी	राशि	प्रतिवादी	राशि
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	-
2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	-	2. आवेदन पत्र के लिए स्टाम्प	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	3. प्लीडर फीस	-
4. प्लीडर फीस	-	4. साक्षियों के लिए निर्वाह स्टाम्प	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह	-	5. कमिश्नर फीस	-
6. कमिश्नर फीस	-	6. आदेशिका की तामील	-

